राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या –1120/2011/बीकानेर

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक–प्रथम,
डूंगरगढ़, बीकानेर। .....प्रार्थी.

बनाम

1. श्री अब्दुल निशार पुत्र श्री गनी खान, निवासी–तौन तहसील, डूंगरगढ़, बीकानेर।
2. श्री भूरे खान पुत्र श्री गनी खान, निवासी–तौन तहसील, डूंगरगढ़, बीकानेर। .....अप्रार्थीगण.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री श्रीनिवास बेनीवाल,
अभिभाषक। .....अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से.
अनुपस्थित। .....अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से

निर्णय दिनांक : 14.05.2014

निर्णय

यह निगरानी राजस्व द्वारा उप–महानिरीक्षक पंजीयन एवम् पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 183/2009 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2009 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गई है। निगरानी राजस्व मण्डल से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई की गई।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने स्वामित्व का भूखण्ड जो आबादी ग्राम टेउ तहसील–श्रीडूंगरगढ़ तादादी 980 वर्गगज में से 346.16 वर्गमीटर अप्रार्थी संख्या–1 को दान करना दर्शाते हुए निष्पादित दानपत्र वास्ते पंजीयन उप पंजीयक, अलवर के समक्ष दिनांक 11.11.2002 को प्रस्तुत किया गया। उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को पंजीयन बाद संबंधित पक्षकार को पंजीबद्ध कर, लौटा दिया गया । तत्पश्चात्, आंतरिक लेखा जांच दल के अंकेक्षण के दौरान उक्त निष्पादित विलेख को कमी मालियत को होना अवधारित कर, प्रश्नगत भूखण्ड के उत्तर में आम रास्ता कोटसर जाने वाला एवम् पूर्व, पश्चिम व दक्षिण में रास्ता, भूखण्ड कॉर्नर का एवम् मुख्य सड़क पर स्थित होना मानते हुए भूखण्ड की मालियत ₹1,40,202/–रूपये निर्धारित करने कुल कमी मुद्रांक व पंजीयन शुल्क ₹6,000/– वसूली हेतु अधिनियम की धारा 51 के तहत रेफरेन्स कलेक्टर (मुद्रांक) बीकानेर को प्रेषित किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश दिनांक 09.11.2009 द्वारा प्रशनगत भूखण्ड को उपपंजीयक, श्रीडूंगरगढ़ की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.08.2009 के आधार पर भूखण्ड को मुख्य सड़क पर स्थित होना अवधारित कर, प्रस्तुत रेफ्रेन्स को अस्वीकार कर दिया । कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह निगरानी लिमिटेशन

लगातार.....2

एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र सहित प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी राजस्व की ओर से बहस करते हुए विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश की निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करने हेतु लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किये जाने के आधार पर विलम्ब माफ कर निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार करते हुए कलेक्टर (मुद्रांक) बीकानेर के निगरानी अधीन आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, रेफ्रेन्स में निर्धारित की गयी भूखण्ड की मालियत स्वीकार कर, उक्त के संबंध में वसूली योग्य राशि ₹6,000/– जमा करवाया जाना प्रकट कर, राजस्व की निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है अतः अप्रार्थी संख्या–1 के विद्वान अभिभाषक व विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा रहा है ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन निर्णय दिनांक 09.11.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी के साथ संलग्न लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को अपने स्वामित्व का भूखण्ड दान करने का दानपत्र पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने पर उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को पंजीयन बाद लौटा दिया गया । तत्पश्चात् आंतरिक जांच दल द्वारा प्रश्नगत सम्पति को कमी मालियत का होना अवधारित कर, तद्नुसार देय कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क अदा करने हेतु अधिनियम की धारा 54 का नोटिस दानग्रहिता अप्रार्थी संख्या 1 को जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त नोटिस की पालना में वांछित मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की राशि जमा नहीं कराने पर अधिनियम की धारा 51 के तहत कमी मालियत का रेफरेन्स कलेक्टर (मुद्रांक)कलक्टर के यहां प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर (मुद्रांक) कलक्टर के निर्णय दिनांक 09.11.2009 द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड को उपपंजीयक, श्रीडूंगरगढ़ की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.08.2009 के आधार पर भूखण्ड को मुख्य सड़क पर स्थित नहीं होना अवधारित कर, प्रस्तुत रेफ्रेन्स को अस्वीकार कर दिया जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि विद्वान कलेक्टर (मुद्रांक) बीकानेर द्वारा राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के प्रावधानों के तहत स्वयम् जांच किये बिना ही उपपंजीयक, श्रीडूंगरगढ़ की मौका रिपोर्ट 18.08.2009 के आधार पर प्रस्तुत

लगातार.....3

रेफ्रेन्स को अस्वीकार कर दिया है। अतः कलक्टर द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाकर उपपंजीयक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है व उपपंजीयक को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अप्रार्थी संख्या–1 से कमी मुद्रांक व कमी पंजीयन शुल्क ₹6,000/– वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करें ।

परिणामतः राजस्व की निगरानी स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

14.5.2014

(मदन लाल)
सदस्य